International Journal of Leading Research Publication (IJLRP)

E-ISSN: 2582-8010 ● Website: www.ijlrp.com ● Email: editor@ijlrp.com

भारतीय संविधान में ट्रांसजेंडर समुदाय के मानवाधिकारों का विश्लेषण

ओम प्रकाश चौरसिया[1], प्रियंका यादव[2]

शोधार्थी

[1]शिक्षाशास्त्र विभाग, [2]राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश

सारांश

हमारे राष्ट्र भारत में अनेकों आक्रांताओं ने आक्रमण किये और अनेकों विदेशियों को शरण प्राप्त की। भारत वासियों द्वारा काफी लम्बे समय तक आज़ादी के विभिन्न आन्दोलन किये गये और अंतिम स्वतंत्रता वर्ष 1947 में अंग्रेजों से मिली। वर्ष 1947 से ही भारतवर्ष को आजाद राष्ट्र माना जाता है। इसी क्रम में वर्ष 1950 में भारत को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र होने का गौरव प्रदान हुआ, साथ ही सभी भारत के नागरिकों को भारतीय संविधान की प्राप्ति हुई। इस संविधान में नागरिकों को राष्ट्र की नागरिकता, उनके मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्यों का लिखित विधान प्राप्त हुआ, किन्तु इन सभी के बाबजूद हमारे राष्ट्र भारत में एक समुदाय ऐसा भी है जिसे आज़ादी के पूर्व अंग्रेजों द्वारा क्रिमिनल ट्राइब होने का कलंक मिला था, लेकिन आज़ादी के बाद भी इन्हें सिर्फ राष्ट्र में तिरस्कार मिला किन्तु इनका अस्तित्व राष्ट्र में कहां है यह सुनिश्चित नहीं हुआ। आज़ादी के वर्षों बाद इस किन्नर समुदाय द्वारा अपने अस्तित्व के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गयी, तब वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद इस समुदाय से जुड़े लोगों को तृतीय लिंग के रुप में अपने ही राष्ट्र में अपनी पहचान मिली। आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को एक दशक बीत चुका है। इस शोध पत्र के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रभाव का अवलोकन कर किन्नर समुदाय के स्तर की प्रगति की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।

बीज शब्द – ट्रांसजेंडर समुदाय, भारतीय संविधान, मानवाधिकार एवं सामाजिक समावेशन।

प्रस्तावना

भारत की स्वतंत्रता के पश्चात 26 जनवरी 1950 भारतीय संविधान लागू हुआ जिसके आधार पर भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हुई। इस भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्य सम्मलित हैं जो कि भारतीय नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देते हैं। भारतीय संविधान के ढांचे के भीतर ट्रांसजेंडर समुदाय के मानवाधिकारों की जांच करने के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है, खासकर जब सामाजिक दृष्टिकोण विकसित होते हैं और कानूनी सुरक्षा स्थापित होती है। ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें प्रणालीगत भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार शामिल है। न्यायपालिका द्वारा महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के साथ कानूनी स्वीकृति का प्रक्षेपवक्र बदलना शुरू हो गया, जिसने संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत ट्रांसजेंडर लोगों के आवश्यक अधिकारों की पुष्टि की है। ऐसे लेख समानता और भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा की वकालत करते हैं, जो इस समुदाय की गरिमा को पहचानने में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा, 2019 के ट्रांसजेंडर संरक्षण अधिनियम का अधिनियमन विधायी प्रगति का प्रतीक है, फिर भी यह कुछ साथ कमियों को उजागर करता है, जैसे कि जबरन सर्जरी का विवादास्पद मुद्दा। जैसा कि (खन्ना एवं अन्य, 2022) में स्पष्ट किया गया है, सामाजिक स्वीकृति के लिए संघर्ष जारी है, जिसके लिए भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मानवाधिकारों के बारे में निरंतर चर्चा की आवश्यकता है, साथ ही यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि उनकी कानूनी सुरक्षा वास्तविक दुनिया में समानता में परिलक्षित हो।

भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय और उनका ऐतिहासिक संदर्भ

भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय का एक समृद्ध ऐतिहासिक संदर्भ है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, जो सांस्कृतिक सम्मान को सामाजिक हाशिए पर रखने के साथ जोड़ता है। ऐतिहासिक रूप से, ट्रांसजेंडर समुदाय के भीतर एक अलग समूह, हिजड़े/किन्नर, भारतीय समाज में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं, पारंपरिक अनुष्ठानों में उनके द्वारा जश्न मनाया जाता है और बच्चे के जन्म और शादियों के दौरान उन्हें आशीर्वाद देने वाले के रूप में माना जाता है। हालाँकि, इस मान्यता के बावजूद, इन्हें समकालीन समाज में गंभीर भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है, अक्सर इस समुदाय को सामाजिक और आर्थिक जीवन के हाशिये पर धकेल दिया जाता है। हाल ही में कानूनी प्रगति, जिसमें 2018 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी शामिल है, जिसने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को मान्यता दी, जिसने समावेशिता और नागरिकता के एक बुनियादी पहलू के रूप में उनकी पहचान के दावे की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया है। ट्रांसजेंडर संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा स्थापित कानूनी ढांचा उनके अधिकारों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, फिर भी इस समुदाय की लगातार सामाजिक चुनौतियाँ हमें समानता और स्वीकृति के लिए जारी संघर्ष की याद दिलाती हैं। (खन्ना एवं अन्य, 2022) (अत्रे एवं अन्य, 2024)

अध्ययन के उद्देश्य-

1. **ट्रांसजेंडर समुदाय के मानवाधिकारों का अवलोकन करना।**
2. **ट्रांसजेंडर समुदाय की भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों तक पहुँच का अवलोकन करना।**
3. **ट्रांसजेंडर समुदाय के पक्ष में न्यायपालिका द्वारा दिए गये निर्णयों की प्रगति एवं चुनौतियों का अध्ययन करना।**

भारतीय संविधान में मानवाधिकारों संबंधी प्रावधान

भारतीय संविधान में मानवाधिकारों को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढांचा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों सहित हाशिए पर पड़े समुदायों की जरूरतों और अधिकारों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संविधान मुख्य रूप से अनुच्छेद 14 के माध्यम से मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जो कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है, साथ ही अनुच्छेद 15 और 16 जो लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं। ऐसे प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों द्वारा पुष्ट किया गया, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी गई, जिससे नागरिकता के विमर्श में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया और समाज में उनकी कानूनी स्थिति में सुधार हुआ (स्वेन एवं अन्य, 2016)। इसके अलावा, ट्रांसजेंडर संरक्षण अधिनियम 2019 का अधिनियमन ट्रांसजेंडर अधिकारों की कानूनी स्वीकृति को रेखांकित करता है, हालांकि यह जबरन सेक्स-रीअसाइनमेंट सर्जरी (खन्ना एवं अन्य, 2022) जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने में विफल रहता है। इन कानूनी प्रगति के बावजूद, सामाजिक स्वीकृति एक कठिन चुनौती बनी हुई है, जिससे ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कानूनी मान्यता को ठोस सामाजिक समावेश में बदलने के लिए निरंतर वकालत की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का अवलोकन

भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकार विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों से जटिल रूप से जुड़े हुए हैं, जिनका उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना और समानता को बढ़ावा देना है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार की गारंटी देता है, यह सुनिश्चित करता है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों सहित सभी नागरिक कानून के तहत समान सुरक्षा के हकदार हैं। इसके अलावा, अनुच्छेद 15 और 16 लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं, जिसकी न्यायपालिका ने लिंग पहचान को शामिल करने के लिए व्याख्या की है। धारा 377 के गैर-अपराधीकरण जैसे ऐतिहासिक फैसलों ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की मान्यता प्राप्त तीसरे लिंग के रूप में स्थिति को और मजबूत किया है, उनके मौलिक अधिकारों की पुष्टि की है। हालांकि, इन सुरक्षात्मक उपायों के बावजूद, 2019 का ट्रांसजेंडर संरक्षण अधिनियम, एक कदम आगे रहते हुए, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी में सहमति जैसे मुद्दों को संबोधित करने में विफल रहने के लिए आलोचना का सामना कर रहा है। इस प्रकार, जबकि ट्रांसजेंडर अधिकारों का समर्थन करने के लिए संवैधानिक प्रावधान मौजूद हैं, वास्तविक सामाजिक स्वीकृति और व्यापक सुरक्षा महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं (खन्ना एवं अन्य, 2022) (अत्रे एवं अन्य, 2024)।

ट्रांसजेंडरों के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय और उनका प्रभाव

भारत में ऐतिहासिक निर्णयों ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कानूनी परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है, जो मानवाधिकारों की खोज में महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में कार्य करता है। 2014 के NALSA निर्णय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता देना एक परिवर्तनकारी क्षण था, जिसने अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत उनके संवैधानिक अधिकारों की पुष्टि की। इस फैसले ने न केवल ऐतिहासिक हाशिए

पर रहने को चुनौती दी, बल्कि सरकार को कानूनी मान्यता और सामाजिक कल्याण उपाय प्रदान करने का भी आदेश दिया। हालाँकि, ऐसे न्यायिक हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता जांच के अधीन है, क्योंकि इन अधिकारों का कार्यान्वयन असंगत रहता है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, मौलिक अधिकारों को लागू करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से न्यायपालिका में निहित है, जिसे न्याय में देरी और जनता के विश्वास की कमी सहित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि (तिवारी एवं अन्य, 2021) द्वारा जोर दिया गया है। इसके अलावा, यौन अधिकारों और भेदभाव को संबोधित करने में कानूनी प्रणालियों की कमियों के लिए व्यापक सुधारों की आवश्यकता है, एक भावना जो (दास एवं अन्य, 2023) में प्रतिध्वनित होती है। अंततः, ऐतिहासिक निर्णयों के साथ-साथ समाज में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए मजबूत विधायी परिवर्तन भी किए जाने चाहिए।

भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को आकार देने वाले सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्णयों का विश्लेषण

भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों के विकास को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णयों द्वारा महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया गया है, जिसने भारतीय संविधान के ढांचे के भीतर इस हाशिए पर पड़े समुदाय के अधिकारों को उत्तरोत्तर मान्यता दी है। 2014 में एक महत्वपूर्ण फैसला आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे लिंग की कानूनी मान्यता की पुष्टि की, जिससे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पुरुष और महिला के पारंपरिक द्विआधारी वर्गीकरण से बाहर रहने में सक्षम बनाया गया। इस फैसले ने न केवल एक कानूनी पहचान प्रदान की, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जो एडवांसिंग इक्वालिटी में व्यक्त की गई भावनाओं का प्रतिध्वनित करता है कि संवैधानिक सुरक्षा को सार्थक सामाजिक प्रथाओं में बदलना चाहिए (हेमैन एवं अन्य, 2020)। इसके अतिरिक्त, बाद के फैसलों ने सरकार के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार तक समान पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता को मजबूत किया है। इस तरह की न्यायिक मान्यता हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों की वकालत करने वाले अंतर्राष्ट्रीय रुझानों के अनुरूप है, जैसा कि मानवाधिकार ढांचे के तुलनात्मक विश्लेषण में देखा गया है (बुचर एवं अन्य, 2023)।

भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए की गई प्रगति और चुनौतियों पर चिंतन

भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मानवाधिकारों को सुरक्षित करने की दिशा की यात्रा में महत्वपूर्ण मील के पत्थर देखे हैं, विशेष रूप से ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और 2019 में ट्रांसजेंडर संरक्षण अधिनियम के अधिनियमन के साथ। इन विकासों ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को एक अलग तीसरे लिंग के रूप में मान्यता देने में एक महत्वपूर्ण प्रगति को चिह्नित किया, जिससे संविधान के तहत उनके अधिकारों की पुष्टि हुई, विशेष रूप से अनुच्छेद 14, जो समानता की गारंटी देता है, और अनुच्छेद 21, जो जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करता है। हालाँकि, इन कानूनी सुरक्षा उपायों के बावजूद, कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। ट्रांसजेंडर संरक्षण अधिनियम, एक कदम आगे होने के बावजूद, जबरन सेक्स-रीअसाइनमेंट सर्जरी जैसे मुद्दों को पर्याप्त रूप से संबोधित करने में विफल रहने के कारण आलोचना का विषय बनकर रह गया है, जो अक्सर सहमति के बिना होती हैं, जो चल रहे प्रणालीगत भेदभाव को उजागर करती हैं। इसके अलावा, सामाजिक स्वीकृति एक दुर्जेय बाधा बनी हुई है, क्योंकि कलंक और पूर्वाग्रह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की पूर्ण प्राप्ति में बाधा डालते हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय अभी भी कानूनी ढांचे से परे व्यापक समानता और मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है, जो भारतीय समाज में गरिमा और सम्मान के लिए उनके संघर्ष की जटिलता को दर्शाता है (खन्ना एवं अन्य, 2022) (एन/ए, 2014)। सरकार को चाहिए कि वह शक्ति से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(क) का पालन करवाएं जो नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है, जिससे ट्रांसजेंडर बच्चों को भी शिक्षा रूपी अमृत प्राप्त हो सके।

निष्कर्ष

भारतीय संविधान में ट्रांसजेंडर समुदाय के मानवाधिकारों का विश्लेषण, महत्वपूर्ण प्रगति और स्थायी चुनौतियों दोनों को रेखांकित करता है। कानूनी ढाँचे, जैसे कि 2019 का ट्रांसजेंडर संरक्षण अधिनियम और धारा 377 को अपराध से मुक्त करने वाले न्यायिक निर्णय ने ट्रांसजेंडरों के अधिकारों को मानवीय गरिमा के लिए मौलिक रूप से मान्यता देने के लिए एक आधार स्थापित किया है। हालाँकि, इन नीतियों की प्रभावशीलता अक्सर सामाजिक कलंक और कार्यान्वयन में कमियों के कारण बाधित होती है। उदाहरण के लिए, जैसे कि न्यायपालिका द्वारा ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता प्रदान की गयी है, किन्तु जबरन सेक्स-रीअसाइनमेंट सर्जरी जैसे मुद्दे बने हुए हैं, जो व्यक्तिगत स्वायत्तता और सहमति पर तत्काल ध्यान देने की मांग करते हैं (खन्ना एवं अन्य, 2022)। इसके अलावा, विधायी प्रगति के बावजूद, समाज के भीतर व्यापक स्वीकृति नहीं मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिर्फ कानूनी मान्यता जरूरी नहीं अपितु सामाजिक स्वीकृति के बराबर हो (खन्ना एवं अन्य, 2022)। इस प्रकार भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए व्यापक मानवाधिकारों की यात्रा एक जटिल और बहुआयामी प्रयास बनी हुई है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. Klasson, Lisa, Lind, Anders E., Miller, Wolfgang J., Schneider, et al. (2009) Transgendered in Alaska: Navigating the Changing Legal Landscape for Change in Gender Petitions. doi: https://core.ac.uk/download/62546190.pdf
2. N/A (2014) 50 Years after the Civil Rights Act: The Ongoing Work for Racial Justice in the 21st Century. doi: https://core.ac.uk/download/75780252.pdf
3. Swain, G. (2016) Transgenders as the 'other': The politics of Transgender community after the historic Supreme Court Verdict. doi: https://core.ac.uk/download/236005005.pdf
4. Heymann, Jody, Raub, Amy, Sprague, Aleta (2020) Advancing Equality. doi: https://core.ac.uk/download/478135562.pdf
5. Dr. Janardan Kumar Tiwari, Ramesh Kumar (2021) A Study of Judicial Responses relating to Human Rights in India. doi: https://core.ac.uk/download/482075418.pdf
6. Khanna, Purnima (2022) Constitutionalism and Human Rights: A Critical Analysis of the Rights of Transgender People in India. doi: https://core.ac.uk/download/554290493.pdf
7. Das, Pallab, Mishra, Shree, Padhy, Sushant, Panigrahi, et al. (2023) Shedding light on sexual crimes and victim's rights: Examining the intersection of psychology and law in the Indian legal system. doi: https://core.ac.uk/download/587416999.pdf
8. Butcher, Tom (2023) Human Rights, Trans Rights, Prisoners' Rights: An International Comparison. doi: https://core.ac.uk/download/568123653.pdf
9. Atrey, S, Bhatia, G (2024) In search of principle: 70 years of gender jurisprudence in India. doi: https://core.ac.uk/download/589995903.pdf